चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर

प्रबन्ध मण्डल की 155वीं बैठक

का कार्यवृत्त

दिनाँक : 13.12.2018

दिन : गुरूवार

समय : अपरान्ह 01:00 बजे

स्थान : कृषि महाविद्यालय (कैम्पस) लखीमपुर खीरी जो जमुनाबाद, गोला गोकरननाथ, अलीगंज रोड, लखीमपुर खीरी।

चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
प्रबन्ध मण्डल की 155वीं बैठक का कार्यवृत्त।

दिनॉक : 13.12.2018

सभास्थल : कृषि महाविद्यालय (कैम्पस) लखीमपुर खीरी जो जमुनाबाद, गोला गोकरननाथ, अलीगंज रोड, लखीमपुर खीरी।

समय : अपरान्ह 01:00 बजे

उपस्थिति :–

1.	**डा0सुशील सोलोमन,** कुलपति एवं अध्यक्ष प्रबन्ध मण्डल	अध्यक्ष
2.	**डा0 राजीव पाण्डेय,** क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ–226001	सदस्य / प्रतिनिधि **प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा**
3.	**श्री एल0वी0 यादव,** उप निदेशक कृषि, उ0प्र0, लखनऊ–226001	सदस्य / प्रतिनिधि **निदेशक कृषि,**
4.	**श्री वीर सेन यादव,** 750W-2,दामोदर नगर, कानपुर–208027	सदस्य
5.	**श्री जगदीश सिंह यादव,** 730, शान्ती नगर, स्टेशन रोड,शिकोहाबाद, जिला–फिरोजाबाद	सदस्य
6.	**डा0 ए0डी0 पाठक,** निदेशक, भारतीय गन्ना संस्थान, लखनऊ	सदस्य
7.	**श्री मनमोहन मिश्रा,** अर्थ नियन्त्रक, सचिव प्रबन्ध मण्डल	सचिव

(40)

सर्वप्रथम कुलपति महोदय एवं अध्यक्ष, प्रबन्ध मण्डल द्वारा मा0 सदस्यों का स्वागत किया गया। तदोपरान्त अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सचिव, प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर मा0 सदस्यों द्वारा मदवार चर्चा की गयी। प्रस्तुत प्रस्तावों पर मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्राप्त निर्णयों का मदवार विवरण निम्नवत् है :-

मद संख्या 1	:	**प्रबन्ध मण्डल की दिनॉक 25.09.2018 को सम्पन्न हुई 154वीं बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन।** मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा कार्यवृत्त का अनुमोदन/पुष्टि कर दी गयी।
मद संख्या 2	:	**चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध मण्डल की दिनॉक 25.9.2018 को सम्पन्न हुई 154वीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही।** **मद संख्या–2 का बिन्दु–2** प्रबन्ध मण्डल द्वारा यह निर्देश दिये गये कि पुर्नगठन के सम्बन्ध में जारी शासनादेशों के अनुसार लेखा संवर्ग एवं लिपिक संवर्ग को नियमानुसार अलग–अलग करने की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर ली जाय। **मद संख्या 5–** प्रबन्ध मण्डल द्वारा खेद व्यक्त किया गया कि अभी तक गठित समिति द्वारा किसी भी फार्म का निरीक्षण नही किया गया है और न ही कोई रिपोर्ट दी गयी है। सभी फार्मों का निरीक्षण करने हेतु मा0 सदस्य श्री वीर सेन यादव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाती है जिसके संयोजक निदेशक प्रसार होंगे। प्राध्यापक एवं अध्यक्ष, सस्य विज्ञान विभाग को सदस्य के रूप में नामित किया जाता है। निदेशक प्रसार समस्त फार्मों के निरीक्षण की कार्ययोजना बनाकर कुलपति से अनुमोदन प्राप्त कर लें और तद्नुसार दिनॉक 31.03.2019 तक समस्त फार्मों का निरीक्षण कर भौतिक एवं वित्तीय प्रगति व अन्य बिन्दुओं पर आख्या एवं रिपोर्ट कुलपति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। **मद संख्या 6–** निदेशक प्रसार को यह निर्देश दिये जाते हैं कि 15 दिन के अन्दर कार्यवाही पूर्ण कर कुलपति को अवगत करायें। **मद संख्या 7–** प्रबन्ध मण्डल द्वारा अभी तक काई भी कार्यवाही न होने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा कार्य को पूर्ण कराने हेतु निदेशक प्रसार एवं निदेशक बीज एवं प्रक्षेत्र को कडे निर्देश दिये कि दिनॉक 31.03.2019 तक प्रत्येक दशा में सभी प्रक्षेत्रों एवं के0वी0के0 की पूर्व की लम्बित समस्त बैलेन्सशीटों को पूर्ण करते हुए अद्यावधिक करा लिया जाय तथा प्रत्येक के0वी0के0 एवं प्रक्षेत्रों की रोकड बही भी अद्यावधिक करा ली जाय। सही, त्रुटिरहित ऑकडे एवं बैलेन्सशीट, रोकड बही निर्धारित अवधि तक पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व निदेशक बीज एवं प्रक्षेत्र तथा निदेशक प्रसार का होगा। **अन्य निर्देश बिन्दु संख्या 7–** मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा इस बात पर बल दिया गया कि प्रश्नगत प्रकरण में जो भी कार्यवाही की जाय वह शासनादेश के अनुसार होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में स्पष्ट संस्तुति प्रस्तुत करने हेतु गठित समिति से अपेक्षा की जाती है कि समिति प्रदेश के अन्य कृषि विश्वविद्यालयों एवं आई0सी0ए0आर0 में प्रचलित नियमों का अध्ययन कर ले और तद्नुसार एक स्वस्पष्ट संस्तुति मा0 प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करे।

मद संख्या 3	:	कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार के अर्न्तगत सब मिशन ऑन एग्रोफॉरेस्ट्री योजना, उत्तर प्रदेश द्वारा वित्त पोषित स्वीकृत नवीनतम परियोजना **"Establishment of Hi- tech model nursery for development of quality planting material suitable under agroforestry system"** का विश्वविद्यालय में कियान्वयन के सम्बंध में प्रस्ताव। मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
मद संख्या 4	:	चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर को राजस्व मद एवं पूँजीगत मद में वित्तीय वर्ष 2018–19 का पुनरीक्षित अनुमान एवं वर्ष 2019–20 का प्रस्तावित अनुमान तथा वित्तीय वर्ष 2019–20 में शासन द्वारा अनुमानित बजट के सापेक्ष शासन/केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाले समस्त अनुदानों की स्वीकृति/व्यय के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव। मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
मद संख्या 5	:	श्री राना प्रताप सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ (कृषि प्रसार), के0वी0के0, दरियापुर, रायबरेली का राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ में परियोजना अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत रहने के फलस्वरूप दिनांक 12.01.2019 से दो वर्ष का धारणाधिकार (लियन) संरक्षित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव। मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
मद संख्या 6	:	विश्वविद्यालय मे नवस्थापित महाविद्यालयों हेतु शासनादेश संख्या–28/2018/ 257/67 –कृशिअ–18–400(3)/17 दिनांक 10.07.2018 द्वारा सृजित शैक्षिक पदों को भरे जाने हेतु विज्ञापन प्रकाशित किये जाने की अनुमति प्रदान करने विषयक प्रस्ताव। आरक्षण नियमों का पालन करते हुए शासनादेश के अनुसार तत्काल कार्यवाही प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये।
मद संख्या 7	:	विश्वविद्यालय अभियन्त्रण विभाग में रिक्त तकनीकी/गैर–तकनीकी पदों पर शैक्षिक योग्यता के अनुसार आउट सोर्सिंग के माध्यम से कार्मिक योजित किये जाने हेतु अनुमति सम्बन्धी प्रस्ताव। प्रबन्ध मण्डल द्वारा यह निर्देश दिये गये कि अभियन्त्रण विभाग में जो तकनीकी/गैर तकनीकी पद रिक्त हो गये हैं अथवा भविष्य में रिक्त होने वाले हैं उन पर नियमानुसार नयी नियुक्ति की प्रकिया प्रारम्भ कर ली जाय। शासन से भी अनुरोध कर लिया जाय कि कोई योग्य अभियन्ता जो विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर आना चाहता है तो उस पर भी विचार कर लिया जाय। अभिन्त्रण विभाग में रिक्त हो चुके तकनीकी अथवा रिक्त होने वाले तकनीकी पदो के सापेक्ष निर्धारित शैक्षिक योग्यता के अनुसार आउट सोर्सिंग के आधार पर अथवा सेवानिवृत्त तकनीकी व्यक्ति को उसके द्वारा अन्तिम आहरित वेतनमान की न्यूनतम पर एंक निश्चित अवधि तक पुर्ननियोजित करने हेतु कुलपति को अधिकृत किया जाता है। यह प्रकिया नितान्त अस्थायी होगी। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय प्रशासन नियमानुसार नियमित नियुक्ति करने की कार्यवाही पूर्ण कर ले। मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा यह निर्णय इस कारणों से लिया जा रहा है विश्वविद्यालय में तकनीकी स्टाफ की कमी से विश्वविद्यालय की बिजली, पानी जैसी मूलभूत आवश्यक कार्य प्रभावित न हों।

मद संख्या 8	:	**विश्वविद्यालय में संचालित कृषि, वानिकी एवं उद्यान महाविद्यालयों में यू0जी0 एवं पी0जी0 का शिक्षण कार्य सुचारू रूप से संचालित किये जाने एवं शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु सात (07) विभागों में जिनमें विभिन्न विषयों के शिक्षक उपलब्ध नही हैं, उन विषयों में Adjunct Faculty के रूप में सेवानिवृत्त प्राध्यापक/सह–प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक रखे जाने हेतु अपना अनुमोदन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।** मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा कुलपति को अधिकृत किया गया और यह अपेक्षा की गयी कि कुलपति आई0सी0ए0आर0 में प्रचलित व्यवस्था एवं नियमों के अनुरूप अपने स्तर से निर्णय लेंगे।
मद संख्या 9	:	**अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव।**
पूरक 1	:	**पादप रोग विज्ञान विभाग के अन्तर्गत कार्यरत बायोकन्ट्रोल प्रयोगशाला में चार ट्रेनिंग मॉड्यूल तथा पॉच एनालिटिकल सर्विसेज आरम्भ किया जाना।** मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
अन्य निर्देश	:	1. मा0 सदस्य श्री वीर सेन यादव द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया कि प्रबन्ध मण्डल के कई सदस्य लगातार बैठकों में उपस्थित नही हो रहे हैं। उन्होंने यह अवगत कराया कि डा0 हरपाल सिंह लगातार पिछली चार बैठकों से भाग नही ले रहे हैं। जो सदस्य लगातार तीन बैठकों में भाग नही ले रहे हैं उनके सम्बन्ध में स्थिति की जानकारी प्राप्त कर यथोचित कार्यवाही हेतु शासन को अवगत कराया जाय। 2. प्रबन्ध मण्डल द्वारा यह निर्णय लिया गया कि कृषि महाविद्यालय लखीमपुर खीरी में एक पूर्णकालिक अधिष्ठाता की नियुक्ति की जाय। प्रबन्ध मण्डल द्वारा निर्माणाधीन महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया और अपूर्ण कार्यों पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा गया कि आधारभूत सुविधाओं के अभाव में कृषि महाविद्यालय का संचालन नही हो पा रहा है। महाविद्यालय प्रांगण के अन्दर जो भी आधारभूत सुविधाऐं आवश्यक हों उन्हें तत्काल पूर्ण कर लिया जाय। यदि दिनॉक 31.03.2019 तक कार्यदायी संस्था कार्यों को पूर्ण नही करती है तो प्रमुख सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान एवं मा0 कृषि मंत्री जी को अवगत करा दिया जाय। 3. प्रबन्ध मण्डल द्वारा यह निर्देश दिये गये कि विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों की नियमानुसार वरिष्ठता सूची तैयार कर मा0 प्रबन्ध मण्डल को अवगत कराया जाय। 4. विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को मेडीक्लेम/मेडिकल रिम्बर्समेन्ट की कोई सुविधा उपलब्ध नही है। इस सम्बन्ध में नियमानुसार यथोचित कार्यवाही विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा की जाय। ताकि कर्मचारियों को धन के अभाव में चिकित्सा सुविधा से वंचित न होना पडे।

		5. प्रबन्ध मण्डल द्वारा इस बात का संज्ञान लिया गया कि के0वी0के0 से विश्वविद्यालय में स्थानान्तरण हेतु कार्मिकों द्वारा लगातार दबाव बनाये जाते हैं इस सम्बन्ध में के0वी0के0 से के0वी0के0 एवं के0वी0के0 से मुख्यालय स्थानान्तरण के सम्बन्ध में एक नीति निर्धारण कराने हेतु मा0 सदस्य डा0 ए0डी0 पाठक, निदेशक, भारतीय गन्ना संस्थान, लखनऊ की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाती है। जिसमें श्रीमती रचना सिंह सदस्य एवं कुल सचिव, निदेशक शोध और निदेशक प्रसार सदस्य होंगे। कुल सचिव समिति के संयोजक के रूप में अध्यक्ष से व्यक्तिगत सम्पर्क कर आई0सी0ए0आर0/राज्य सरकार के शासनादेशों एवं प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों में प्रचलित नियमों का अध्ययन करते हुए तीन माह के अन्दर कुलपति के समक्ष अपनी रिर्पोट प्रस्तुत करेंगे कि एसे प्रकरणों में क्या कार्यवाही की जाय। रिपोर्ट प्रबन्ध मण्डल की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय। विश्वविद्यालय में नीति निर्धारण न होने के कारण विषमता का सामना करना पडता है। 6. विश्वविद्यालय के समस्त संवैधानिक पदों यथा– अधिष्ठाता, निदेशक, कुल सचिव आदि के पदों को विज्ञापित कराकर नियमित नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण की जाय।

अन्त में बैठक मा0 अध्यक्ष एवं सम्मानित सदस्यों को सधन्यवाद सम्पन्न हो गयी।

अनुमोदित

(मनमोहन मिश्रा)
अर्थ नियन्त्रक एवं सचिव
प्रबन्ध मण्डल

(डा0 सुशील सोलोमन)
कुलपति एवं अध्यक्ष
प्रबन्ध मण्डल